# पंथनिरपेक्षता

Result Mitra

**"Secularism European Concept, Don't Need It In India": Tamil Nadu Governor**

"A lot of frauds have been committed on people of this country, and one of them is that they have tried to give a wrong interpretation of secularism," Tamil Nadu Governor RN Ravi said

Result Mitra

- भारत की नृजातीय, भाषाई और धार्मिक विविधता को भारत की आत्मा कहा जाता है।
- भारत के संविधान का उद्देश्य पंथनिरपेक्षता के माध्यम से इस एकता (न कि एकरूपता) को संरक्षित करना।

# सिद्धांत

- सेक्यूलर (धर्मनिरपेक्ष) शब्द लैटिन शब्द सैकुलम से लिया गया है। जिसका अर्थ है सदी या युग।
- धर्म निरपेक्षता का एक मानक या राजनीतिक सिद्धांत के रूप में पहली बार यूरोप में प्रयोग किया गया था।
- सार्वजनिक क्षेत्र में धर्म का किसी प्रकार आस्था या विश्वास के अभ्यास की स्वतंत्रता।
- धार्मिक विश्वासों की अनुपस्थिति या गैर अनुसरण से किसी प्रकार का कोई लाभ या हानि न हो।

Result Mitra

# उदय

- 1618 से 1648 के बीच विभिन्न राष्ट्रों द्वारा धार्मिक, राजवंशीय, क्षेत्रीय और व्यावसायिक, प्रतिद्वंदिता सहित अलग-अलग कारणों से अनेक युद्ध लड़े गए थे।
- इन युद्धों ने पवित्र रोमन साम्राज्य को कमजोर कर दिया।
- धर्म-निरपेक्षीकरण पश्चिमी देशों में सरकार पद/सरकारी कार्यालय धर्म-निरपेक्षीकरण प्रक्रिया से गुजरे।

Result Mitra

# भारत में पंथनिरपेक्ष (धर्म निरपेक्षता)

- भारत में प्राचीन काल में धर्मनिरपेक्षता मौजूद रही है।
- कोटिल्य के अर्थशास्त्र में यह कहा गया है कि एक राजा की खुशी उसकी प्रजा के कल्याण में निहित होती है।
- पश्चिम से अलग है- पश्चिम के विपरीत, भारत में धर्म एवं विज्ञान अथवा धर्म और नास्तिकता के बीच कोई स्पष्ट विभाजन मौजूद नहीं रहा है।

Result Mitra

- उदाहरण - भारतीय दर्शन में, रूढ़िवादी आस्तिक स्कूल ऑफ थॉट्स के साथ-साथ अपरंपरागत नास्तिक ऑफ थॉट्स को भी शामिल किया गया है।
- 19वीं शताब्दी के दौरान भारत में अपने आधुनिक अर्थों में धर्मनिरपेक्षता के उदय में मदद की।

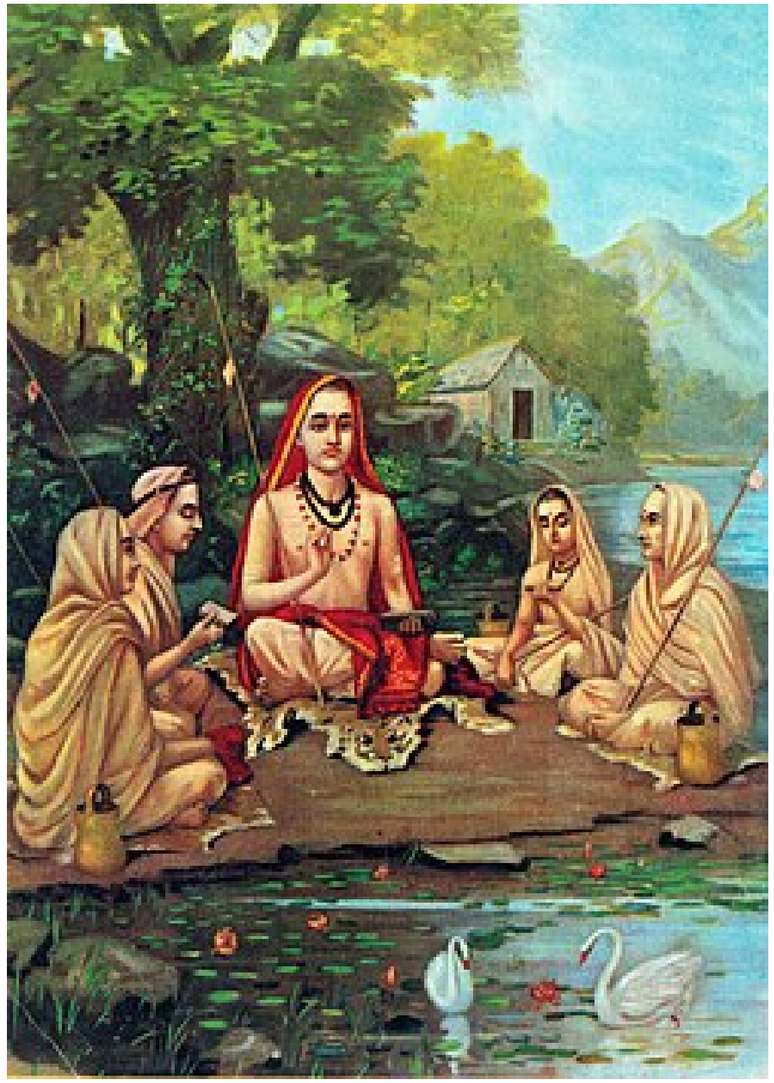

# पंथनिरपेक्षता का उद्देश्य

- पंथनिरपेक्षता शब्द को स्पष्ट रूप से केवल 1975 के आपातकाल (42वां संविधान संशोधन, 1976) के दौरान प्रस्तावना में शामिल किया गया।
- पंथनिरपेक्षता संविधान की शुरूआत - अभिन्न अंग है।
- पंथनिरपेक्षता का भारतीय मॉडल, इसके पश्चिमी मॉडल (धर्मनिरपेक्षता) से अलग है।

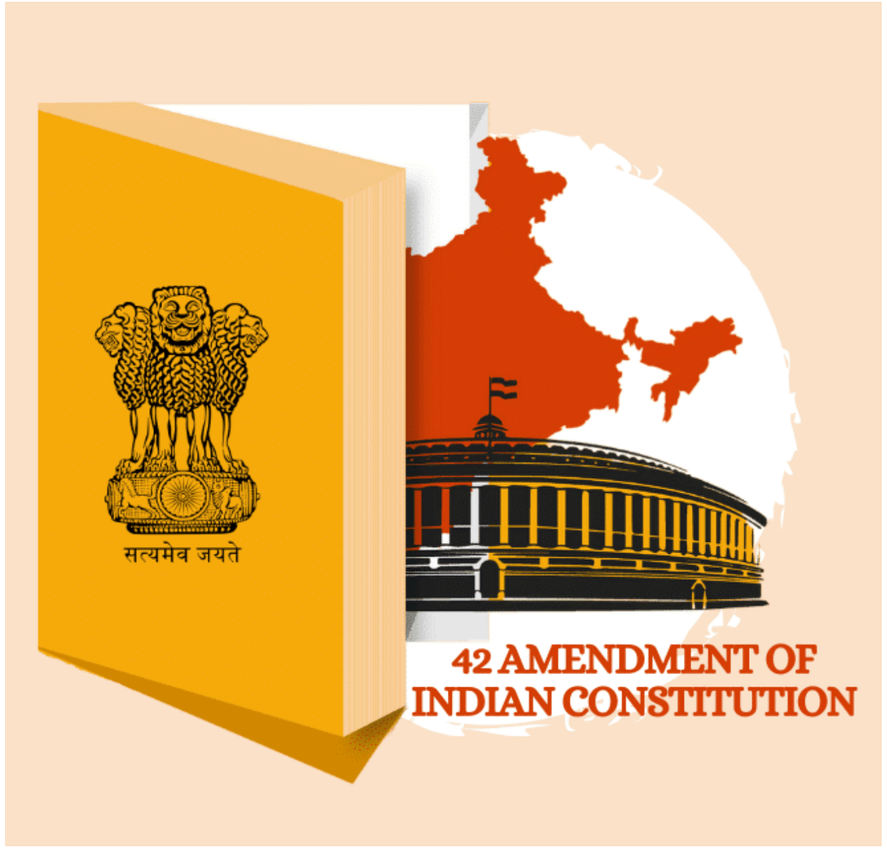

Result Mitra

## जवाहरलाल नेहरू ने कहा था-

- पंथनिरपेक्षता का तात्पर्य उस समाज से नहीं है जहां धर्म को हतोत्साहित किया जाता है, इसका आशय धर्म और अंतरात्मा की स्वतंत्रता से है, जिसमें उन लोगों के लिए भी स्वतंत्रता शामिल है, जिनका कोई धर्म नहीं है।
- भारतीय पंथनिरपेक्षता के तहत, धर्म और राजनीति के बीच कोई स्पष्ट विभाजन नहीं किया गया है।

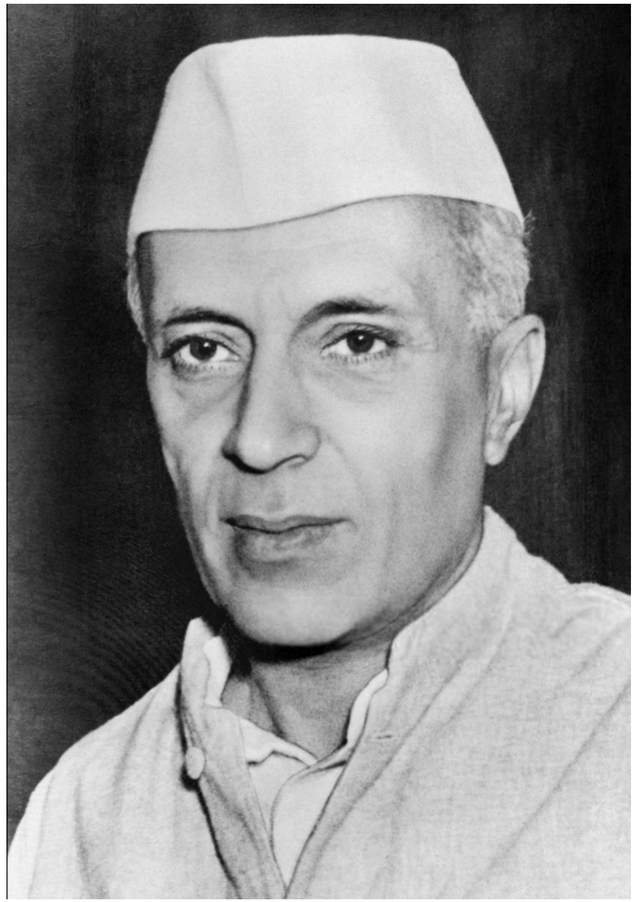

- भारतीय संविधान की प्रस्तावना अपने सभी नागरिकों के लिए - विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और उपासना की स्वतंत्रता एवं प्रतिष्ठा तथा अवसर की समानता को सुरक्षित करती है।
- अनुच्छेद 14 - कानून के समक्ष सभी नागरिकों को समान माना जाएगा।
- अनुच्छेद 15 - धर्म, मूलवंश, जाति अथवा जन्म स्थान के आधार पर किसी भी तरह के भेदभाव पर रोक लगाता है।

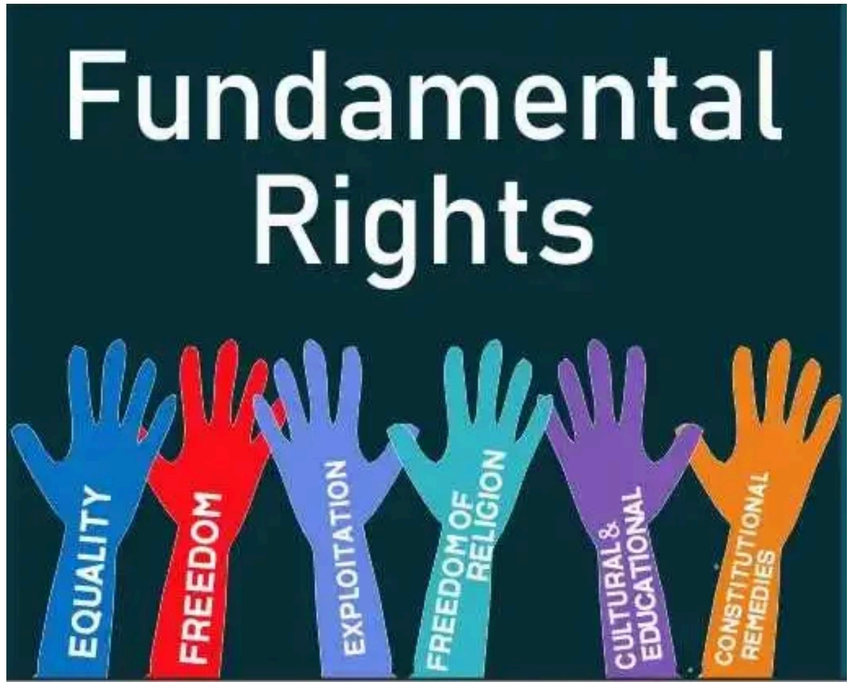

- अनुच्छेद 16 - धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, वंश, जन्म स्थान निवास या इनमें से किसी के भी आधार पर भेदभाव किए बिना लोक नियोजन के मामलों में अवसर की समनता प्रदान करता है।
- अनुच्छेद 25-28 - सभी व्यक्तियों को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की गई।
- अनुच्छेद 29 और 30 - धार्मिक अल्पसंख्यकों सहित अल्पसंख्यकों को उनके हितों की रक्षा के लिए विशेष अधिकार।

- अनुच्छेद 51 ए - सभी नागरिकों पर सद्भाव एवं समान भ्रातृत्व की भावना को बढ़ावा देने और हमारी समग्र संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व देने तथा उसे संरक्षित करने का कर्तव्य सौंपा गया है।

## भारत में पंथनिरपेक्षता का महत्व

- पॉल आर. ब्रास के अनुसार, पंथनिरपेक्षता संतुलन को बनाए रखने वाला एक अभ्यास एवं मूल्यों का एक समूह है।

Result Mitra

- एक बहु-धार्मिक देश होने के नाते, पंथनिरपेक्षता, भारतीय संविधान की मूल विशेषता (केशवानंद भारतीयवाद) के रूप में, विभिन्न क्षेत्रों में संतुलन बनाए रखने में मदद करता है, जैसे-
- राजनीतिक क्षेत्र - पंथनिरपेक्षता राज्य को किसी विशेष धर्म को संरक्षण प्रदान करने से रोकती है।
- एस.आर.बोम्मई बनाम भारत संघ वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अगर धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जाता है, तो सत्तारूढ़ दल का धर्म, राज्य का धर्म बन सकता है।

Result Mitra

- सामाजिक क्षेत्र - ऐतिहासिक गलतियों को सुधारने के लिए सकारात्मक भेदभाव के अवसर प्रदान करके, जैसे - सार्वजनिक रोजगार और शिक्षा में आरक्षण।
- राज्य में समाज के सभी वर्गों के बीच आपसी भरोसे एवं विश्वास को बनाए रखने में मदद करती है।
- आर्थिक क्षेत्र - भारत में शांति बनाए रख कर।
- यह किसी भी धर्म को बढ़ावा देने के लिए सार्वजनिक राजस्व के उपयोग को प्रतिबंधित करती है।
- राज्य को धार्मिक प्रथा से जुड़ी किसी भी आर्थिक एवं वित्तीय गतिविधियों को विनियमित करने का अधिकार प्रदान करती है।

Result Mitra

## नकारात्मक पक्ष

- पंथनिरपेक्षता की कोई सार्वभौमिक परिभाषा न होने के कारण यह भारतीय लोकतांत्रिक प्रणाली को कमजोर करती है।
- भारतीय पंथनिरपेक्षता संप्रदाय या सांप्रदायिक-राजनीतिक को रोकने में अंशतः ही सफल रही है। इससे वैचारिक धुरवीकरण को बढ़ावा मिला है।

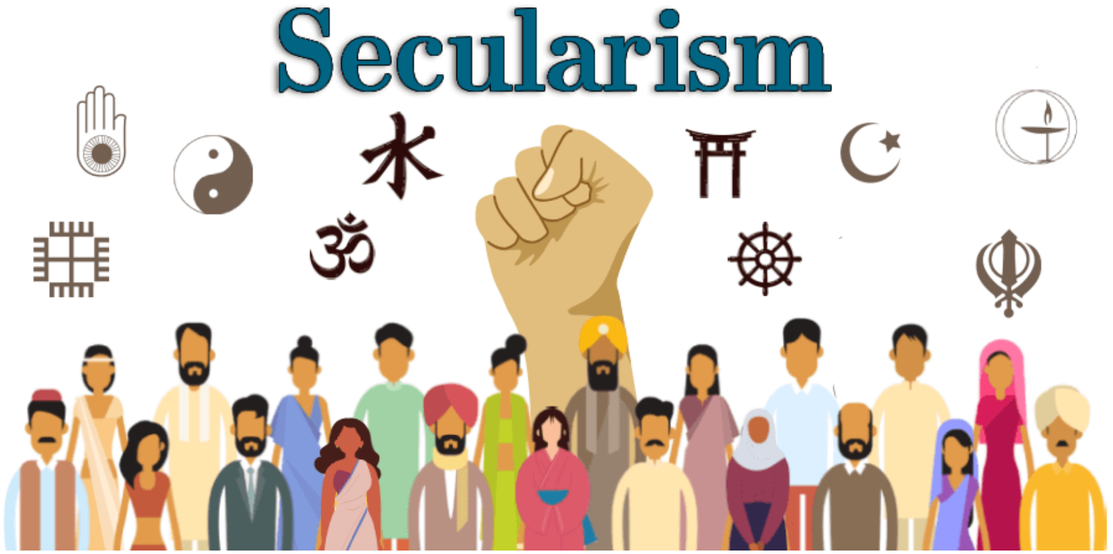

Result Mitra

- पश्चिम के विपरित, भारत की पंथनिरपेक्षता प्रभावित होती है, जैसे राजनीतिक प्रक्रिया में अभी भी धर्म का एक घटक/कारक के रूप में उपयोग होता है।

## भविष्य का राह

- पंथनिरपेक्षता विविधता में एकता का निर्माण तथा इसका संरक्षण करके राष्ट्र का निर्माण करती है।

**US Model**
Arm Length Distance between State and Religion

**Laicite/French Model**
Total Separation between State and Religion

**Indian Model**
Porous wall of separation
Separation between State & Religion

- भारतीय समाज और पंथनिरपेक्षता की अपनी एक अलग विशेषता एवं प्रकृति है।
- चुनाव प्रक्रिया में नागरिकों की सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करना।
- ऐसे मूल्यों का प्रसार करना चाहिए, जो भारतीय राज्य के पंथनिरपेक्ष चरित्र की रक्षा करे तथा पंथनिरपेक्ष्ज्ञता पर संवेदनशीलता/समक्ष का विकास करें।

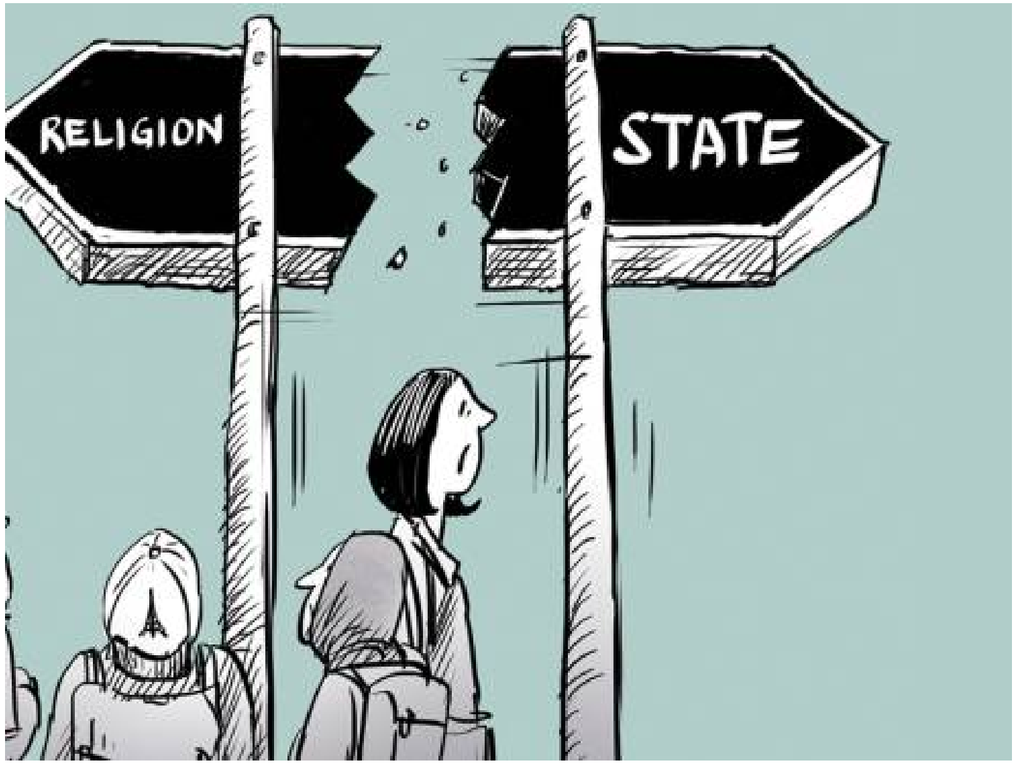

- वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा की जानी चाहिए।
- पंथनिरपेक्षता के सिद्धांतों पर चर्चा को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
- लोकतंत्र को मजबूत करना चाहिए।

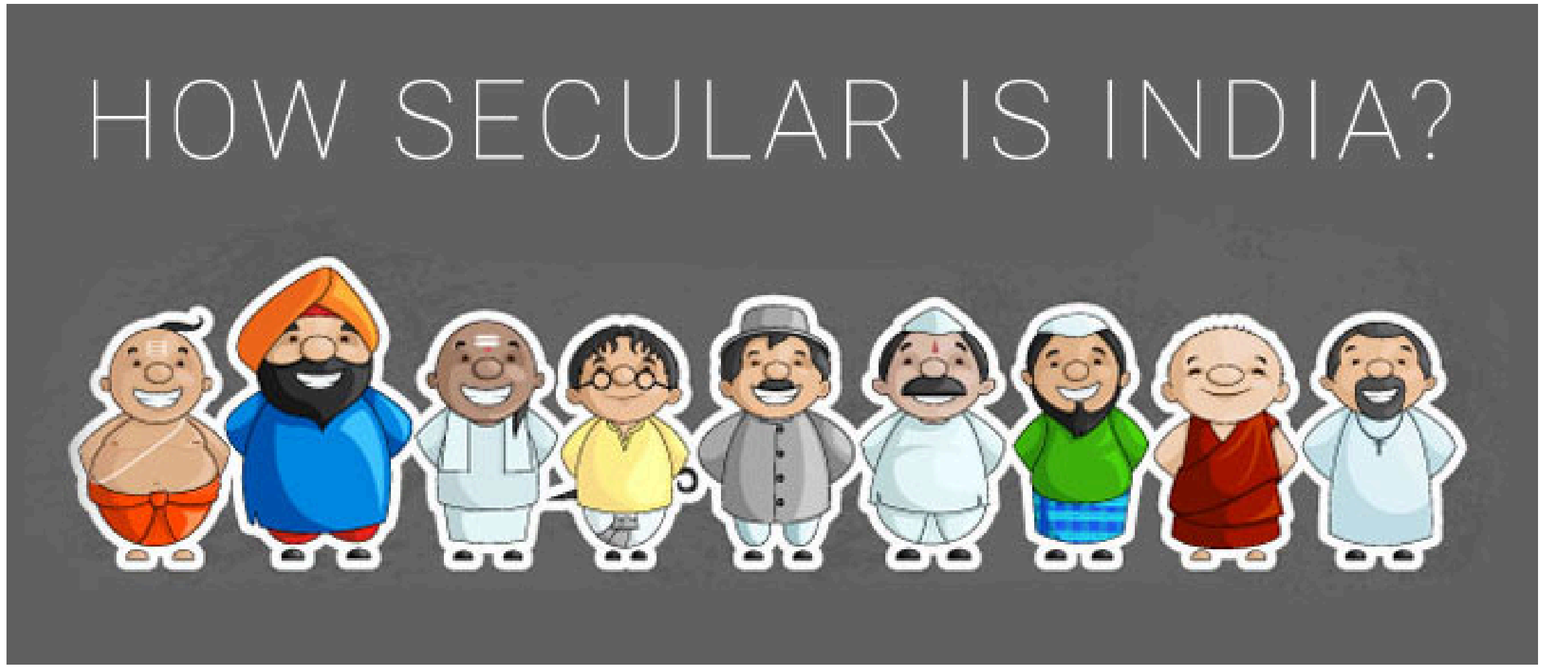

Result Mitra

## गुरूदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर के शब्दो में

- आइए हम एकजुट होते हैं अपने अंतर्विरोधों के विरूद्ध नहीं, अपितु उसके माध्यम से। क्योंकि अंतर्विरोधों को कभी भी मिटाया नहीं जा सकता है तथा उनके बिना जीवन भी बहुत हीन होगा। सभी मानव जातियों को अपने व्यक्तित्व को बनाए रखने दें और उन्हें एकजुट करने में सहयोग करें, एक समानता के तहत नहीं हो मृत है, बल्कि एक एकता के तहत जो जीवित हो।

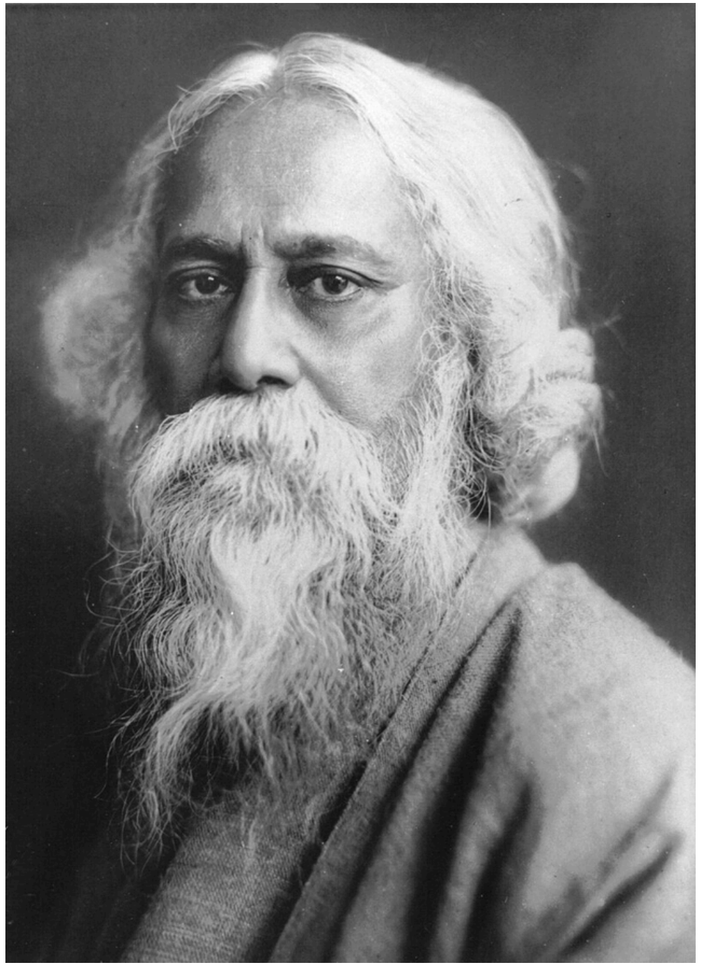

Result Mitra

# पंथनिरपेक्षता सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए महत्त्वपूर्ण निर्णय

## 1. इंद्रा नेहरू गांधी बनाम राजनारायण वाद - 1975

- पंथनिरपेक्षता का अर्थ - राज्य का कोई धर्म नहीं होगा। सभी व्यक्तियों को अंत:करण की स्वतंत्रता और धर्म को अबाध रूप से मानने और आचरण करने तथा प्रचार करने का समान अधिकार होगा।

# अभिराम सिंह बनाम सी. डी. कॉमाचेन (2017)

- इस वाद में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 123 (3) के तहत उम्मीदवार अथवा मतदाता की आरोपित पहचान के आधार पर वोट मांगने तथा वोट करने की अपील को भ्रष्ट आचरण माना गया था।

# शायराबानों बनाम यूनियन ऑफ इंडिया वाद (2017)

- तलाक-ए-बिद्दत या 3 तलाक की प्रथा को यह मानते हुए अवैध घोषित किया गया कि यह संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत संरक्षित नहीं है तथा यह कोई अनिवार्य धार्मिक प्रथा नहीं है।